कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली

पत्र सं0–3547 / 14-10-4 रायबरेली, दिनॉक 15 – 3 – 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– जनपद रायबरेली में लखनऊ–इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–24बी) किमी0 83–84 के मध्य रेलवे सम्पार संख्या–24ए (मामा चौराहा) रायबरेली के दायी ओर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 0.3462 हे0 (संशोधित) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक सं0–890 / रायबरेली / 20102 / 2016 दिनॉक 25 अक्टूबर 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य. वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि वनभूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों पर अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाये, के क्रम में आपत्तियों निराकरण कराकर संशोधित प्रस्ताव अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया जा रहा है :–

Obseve No	Observation of GOI	Reply
1	At several places in proposal the area of proposed forest land diversion has been mentioned as 0.2791 ha. And 0.2790848 ha. A single figure needs to provided.	**त्रुटि सं0 –1** में प्रभावित क्षेत्रफल 0.3462 संशोधित किया गया (संलग्नक पृ0सं0–3)
2	In part 1 at A-2 details of user agency have been mentioned as PWD but the documents have been signed by the officials of UP Bridge Corporation Ltd. This is incorrect and needs rectification.	**त्रुटि सं0 –2** में यूजर एजेन्सी पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा श्री आर0के0 सिंह, उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई, प्रतापगढ़ को अधिकृत किया गया (संलग्नक पृ0सं0–42–43)
3	The kml file uploaded for proposed forest land diversion does not distinctively show the boundaries of forest land. The proposed forest area calculation as per GIS DSS software is 0.37 ha. Whereas proposal is for 0.2790848.	**त्रुटि सं0 –3** में संशोधित प्रस्ताव में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि को (0.3462) संलग्न के0एम0एल0 फाइल में सम्मिलित कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–57)
4	The topo sheet of proposed diversion is without title, legend, index and scale. A small portion of topo sheet has been enlarged without relevant scale and attached with the proposal.	**त्रुटि सं0 –4** में प्रस्तावित डाइवर्जन की टोपोशीट में टाइटिल, लीजेण्ड, इन्डेक्स एवं स्केल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है एवं संलग्न इनलीज्ड ड्राइंग में टाइटिल एवं स्केल लिख दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–59)
5	The geo reference map attached with the proposal is not clear. It dose nto provide adequate geo coordinates forming the proposed forest diversion polygon. It dose nto match with the kml file uploaded.	**त्रुटि सं0 –5** में जियो रेफरेन्स मैप के0एम0एल0 फाइल के अनुसार संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–56)
6	The justification for locating project in forest area is irrelevant.	**त्रुटि सं0 –6** में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को वन संरक्षित वन भूमि में स्थापित करने का औचित्य को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–8)
7	The gazette notification of forest land has been signed by the officials of Reliance Jio infocom Ltd.	**त्रुटि सं0 –7** में संशोधित प्रस्ताव में यूजर नोटोफिकेशन में उप परियोजना प्रबधक, सेतु निर्माण इकाई, प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षर युक्त संलग्न किया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–32–33)
8	The forest area calculation has been done without details and it is confusing.	**त्रुटि सं0 –8** में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की गणना करके संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–47–48)

9	The estimated cost of the proposal mentioned in part I is erroneous and does not match with the details given at page 12 of the proposal.	त्रुटि सं0 –9 में पार्ट–1 में प्रोजेक्ट की आगणन धनराशि को ठीक कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–3)
10	The details of employment generation at page 12 do not match with details provided online.	त्रुटि सं0 –10 में परियोजना के कारण रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है उसे आनलाइन प्रस्ताव के अनुसार संशोधित कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–8)
11	The details regarding crown density at page 14 has not been provided.	त्रुटि सं0 –11 में काउन डेनसिटी को संशोधित प्रस्ताव में सम्मिलित कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–10)
12	The district profile provided online does not match with the details given at page 15 of the proposal.	त्रुटि सं0 –12 में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को आनलाइन आवेदन के अनुसार संशोधित कर दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–11)
13	The certificate issued by DM under FRA 2006 has not been uploaded with the proposal.	त्रुटि सं0 –13 में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0–2006 प्रमाण पत्र को अपलोड करा दिया गया है (संलग्नक पृष्ठ सं0–41)
14	The location of proposal is on the route to Allahabad and civil works have already been started complete report as per guideline/provision is needed regarding FCA 1980 violation.	त्रुटि सं0 –14 में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए वन संरक्षित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण प्रारम्भ नही किया गया है जो निर्माण कार्य हुआ है वह वन संरक्षित वन भूमि में नही है अतः एफ0सी0ए0 1980 एक्ट का उल्लघंन नही हुआ है

(प्रभागीय निदेशक)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

3547

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक 8बी/06/91/2016/एफसी/337 दिनांक 19.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रभागीय निदेशक)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली